**न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर**
**पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.**

**राजस्व अपील संख्या 13/2024**

| **अपीलान्ट** | बनाम | **रेस्पोडेन्टस** |
|---|---|---|
| अर्जुनसिंह पुत्र हडोतसिंह जाति राजपूत निवासी– ग्राम काठा, तहसील व जिला जैसलमेर। | | 1. लूणसिंह पुत्र डूंगरसिंह<br>2. जयसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति– राजपूत निवासीगण– बेरसियाला, तहसील व जिला जैसलमेर।<br>3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैसलमेर। |

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 01.03.2023 जो अपर जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 11/2022 अनवान बलवंतसिंह के का0 मुकाम बनाम तहसीलदार जैसलमेर में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सुरेश परिहार, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राज. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर

## निर्णय

दिनांक 27 जनवरी 2025

अपीलान्ट ने यह अपील अपर जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 11/2022 अनवान बलवंतसिंह के का0 मुकाम बनाम तहसीलदार जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.03.2023 के विरूद्ध दिनांक 05.02.2024 को न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश करने की अनुमति के सम्बन्ध में यह कथन किया कि खातेदार बलवंतसिंह पुत्र पूंजराजसिंह की

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खातेदारी की भूमि ख0सं0 129, 200, 520, 527, 713, 715, 730, 748, 847, 866, 907 कुल खसरा–11 रकबा 596 बीघा 03 बिस्वा उक्त खातेदार के पास सिलिंग सीमा से अधिक भूमि होने के कारण पुराने सिलिंग कानून के अन्तर्गत भूमि अवाप्त कर राज्याधिकार में लेने सम्बन्धी आदेश पारित हुआ तथा ख0सं0 730/1105 रकबा 71.03 बीघा भूमि अधिग्रहण की गई जिसके अनुसार नामा0 संख्या 03 नायब तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा दिनांक 5.6.1976 को स्वीकार किया गया तथा भूमि सरकार के नाम दर्ज हो गई। उक्त भूमि सरकार के नाम दर्ज होने के उपरान्त अपीलान्ट अर्जुनसिंह को ख0सं0 730/1105 रकबा 71.03 बीघा व ख0सं0 1001/1112 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 105 बीघा 06 बिस्वा भूमि उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के आदेश कमांक सीलिंग/273 दिनांक 28.11.1978 के अनुसार सिलिंग भूमि आवंटन की गई तथा चालू रेकर्ड में इन्द्राज किया गया, जिसकी पालना में नामा0 संख्या 48 दिनांक 29.12.1978 को स्वीकृत किया गया और अपीलान्ट के नाम से गैर खातेदारी दर्ज हुई। ख0सं0 730/1105 की रकबा भूमि गैर खातेदारी दर्ज होने के 10 वर्ष पश्चात अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज हुई तब से लेकर आज दिन तक खातेदार काश्तकार के रूप में अपीलान्ट काबिज है। अपीलान्ट उक्त अपीलाधीन आदेश से एग्रीव्ड पक्षकार है। अतः अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करते हुए यह कथन किया कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपीलान्टको पक्षकार नहीं बनाया जबकि वे राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खातेदार दर्ज थे और पक्षकार बनाये बिना तथा उनको नोटिस व सुनवाई का मौका दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया, इस कारण से उन्हें अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नहीं हुआ है। दिनांक 17.01.204 को मौके पर रेस्पोडेन्टस ने धमकी दी कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में हमारे पक्ष में फैसला हो गया है और अपीलाण्ट का कोई अधिकार नहीं रहा है। तब अपीलान्ट ने दिनांक 18.1.2024 को जिला कार्यालय जाकर अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अधिवक्ता से सम्पर्क करते हुए यह अपील तैयार कर न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है जो अपीलाधीन आदेश के प्रथम ज्ञान से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। बिना क्षेत्राधिकार के आदेश व शून्य आदेश में मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता है। इस कारण से ऐसे प्रकरण में अपील, मियाद के बिन्दु पर खारिज ना कर अपील को मेरिट पर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णित करना न्यायोचित है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाकर मेरिट पर निर्णित करने का आदेश प्रदान करें।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने यह भी कहा कि अपील में पक्षकार बनाये बिना ही रेस्पोडेन्ट ने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दी जो चलने योग्य नहीं थी और इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलान्ट की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 90 सीपीसी बाबत अपील पेश करने की अनुमति तथा धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य मिथ्या होना बताया तथा कहा कि नामा. संख्या 03 यानि राजस्व रेकर्ड में वर्तमान अपीलान्ट पक्षकार/खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज नहीं होने के कारण उसे अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट पक्षकार नहीं बनाया गया था और न ही अपीलान्ट से किसी प्रकार का अनुतोष रेस्पोडेन्ट ने प्रथम अपीलीय अधिकारी से चाहा गया था। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय में तहसीलदार को ही पक्षकार बनाया गया था। अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जावे तथा अपीलान्ट की अपील भी इस आधार पर खारिज की जावें।

अपीलान्ट की ओर से धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र एवं धारा 05 मियाद अधिनियम पर दोनों विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस पर गहनता से मनन एवं चिन्तन किया गया जिसके आधार पर अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को प्रथम अपील में पक्षकार नहीं बनाये जाने से अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया व न ही सुनवाई का मौका दिया गया। इस कारण से अपीलाधीन आदेश पूर्णतया प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया गया है, जो आदेश बिना क्षेत्राधिकार व शून्य आदेश माना जायेगा और ऐसे आदेश में मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश खारिज करने योग्य है। इसके अलावा अपीलान्ट राजस्व रेकर्ड व जमाबन्दी में करीब 45 वर्ष से खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर भी अपीलान्ट खातेदार/काश्तकार हो चुका है। रेस्पोडेन्टस ने अपीलान्ट को विवादित भूमि में गैर खातेदारी व खातेदारी प्राप्त होने सम्बन्धी सक्षम न्यायालय में कोई अपील नहीं की न ही आवंटन आदेश को आज दिन तक चैलेन्ज किया

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

गया था, रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी में भूमि दर्ज होने के बाद नामा. संख्या 03 के विरूद्ध करीब 45 वर्ष पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई है, जो कि पूर्णतया मियाद बाहर पेश की गई थी।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट उक्त भूमि का खातेदार है, इस कारण से रेस्पोडेन्टस को उनके विरूद्ध खातेदारी घोषणा का दावा लाना चाहिये था तथा कब्जे के अभाव में बेदखली का दावा अर्थात कब्जा प्राप्त करने का दावा बिना किसी अकेला का खातेदारी घोषणा का दावा चलने योग्य नहीं था। बेदखली का दावा पेश करने की मियाद अवधि 12 वर्ष होती है और वह भी समाप्त हो चुकी है। इस आधार पर भी रेस्पोडेन्ट्स कानूनन कब्जा प्राप्त नहीं कर सकते। इस बिन्दू के आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि नामा0 संख्या 3 के कॉलम संख्या 14,15,16 में उल्लेखित आदेश की पालना में नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। इस कारण से अपीलाधीन नाम0 आदेश के विरूद्ध अपील पेश नहीं होकर जिस आदेश की पालना में नामा0 स्वीकृत किया गया है, उक्त आदेश की अपील होगी, ना कि नामा0 की। इसके अलावा रेस्पोडेन्टस अपीलाधीन नामा0 आदेश से व्यथित पक्षकार निहित थे, तो उसे अपील पेश करने की अनुमति लेनी चाहिये थी, जो रेस्पोडेन्टस के द्वारा नहीं ली गई थी। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर एवं कानूनी बिन्दू के आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.3.2023 को निरस्त किया जावें। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीर आरआरटी 2024(2) पेज 802, आरआरडी 14.9.2010 पेज 573, आरआरडी 1994 पेज 616, राजस्व मण्डल अजमेर प्रकरण संख्या अपील/सीलिंग/3362/2005/जैसलमेर निर्णय दिनांक 04.01.2022, आरआरटी 2011(2) पेज 383, आरआरटी 2024(1) पेज 214, आरआरटी 2024(1) पेज 307, आरआरटी 2016(2) पेज 884, आरआरटी 2012(2) पेज 756, आरआरटी 2023(1) पेज 559, एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों इत्यादि पेश किये गये जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

प्रत्युत्तर में दौराने सुनवाई रेस्पोडेन्टस के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्टस के दादा बलवन्तसिंह पुत्र पुंजराजसिंह जाति राजपुत निवासी बैरसियाला

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के नाम से मौजा बैरसियाला के खसरा संख्या 129, 200, 420, 527, 713, 715, 730, 748, 847, 866, 907 कुल खसरा 11 कुल रकबा 596 बीघा 03 बिस्वा भूमि में खातेदारी दर्ज थी, जिस पर तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा उप जिलाधीश, जैसलमेर के न्यायालय के मुकदमा संख्या 29/74 बअनवान सरकार बनाम बलवन्तसिंह अन्तर्गत धारा राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत वाद पेश किया गया था, उक्त राजस्व वाद न्यायालय के द्वारा दर्ज किया जाकर भूमिधारी को धारा 11 उपधारा 1 के तहत नोटिस जारी किये गये, जिस पर राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए, तत्पश्चात भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत धारा 10 के घोषणा पत्र की जांच तहसीलदार से करवाई गई, जिसके अनुसार अधिक भूमिधारी के परिवार में दो अतिरिक्त ईकाईयां होने से नियमानुसार भिन्न ईकाई को 175 एकड रेतीली भूमि की भूमि पर छूट दिये जाने के उपरान्त कोई अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण हेतु शेष नहीं रही, इस आधार पर उप जिलाधीश, जैसलमेर के द्वारा सीलिंग की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि नायब तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा दिनांक 05.06.1976 को अपीलाधीन नामा0 संख्या 03 द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के स्वीकृत कर दिया गया तथा अपीलान्ट के दादा के नाम से मौजा बैरसियाला में दर्ज खातेदारी भूमि में से नये खसरा संख्या 730/1105 रकबा 71–03 बीघा सिलिंग आदेश बताकर अवाप्त की गई तथा खसरा संख्या 730/1105 में रकबा 71–03 बीघा भूमि अर्जूनसिंह पुत्र हडवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी–काठा के नाम सीलिंग भूमि आवंटित कर दी गई। नायब तहसीलदार जैसलमेर के द्वारा स्वीकृत उक्त नामा0 संख्या 03 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई, जिसमें नामा0 संख्या 03 पर पारित आदेश दिनांक 05.06.1976 बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के पारित किया जाने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया गया था। साथ ही न्यायालय उप जिलाधीश, जैसलमेर द्वारा मुकदमा संख्या 29/74 सरकार बनाम बलवन्तसिंह निर्णय दिनांक 23.03.1975 निर्णित किया है उक्त प्रकरण में तहसीलदार, जैसलमेर से जॉच करवाई गई थी जिसमें भूमिधारी के

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिकार में कुल रकबा 596 बीघा 03 बीस्वा भूमि बताई गई एवं परिवार में कुल 6 सदस्य, जिसमें उनके स्वयं के अलावा उनके दो बच्चे वयस्क होने एवं परिवार की एक ईकाई हेतु जिसमें पति, पत्नि एंव तीन अवयस्क बच्चे है, उस हेतु रकबा 437–10 बीघा की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई एवं प्रत्येक वयस्क पुत्र की पृथक ईकाई जिसके लिए भी रकबा 437–10 बीघा तथा प्रत्येक तीन से अधिक अवयस्क बच्चे हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा रकबा 437–10 बीघा का प्रत्येक रकबा 87–10 बीघा भूमि और दिये जाने का प्रावधान है। तदानुसार भूमिधारी अपने परिवार हेतु उपरोक्त भूमि अपने अधिकार में रखने हेतु सक्षम है। इसके विपरित भूमिधारी के पास कुल रकबा 596.03 बीघा भूमि है जो उनके लिये निर्धारित अधिकतम सीमा से कम है। इस प्रकार रेस्पोडेन्टस के दादा के पक्ष में राजस्व वाद में उप जिलाधीश, जैसलमेर के द्वारा निर्णय पारित करने के उपरान्त भी हल्का पटवारी के द्वारा नामा0 संख्या 03 दर्ज कर दिया जिसे नायब तहसीलदार, जैसलमेर के द्वारा दिनांक 5.6.1976 को स्वीकृत कर दिया जो कि शून्य एवं शून्यकरणीय होने से खारिज करने योग्य था। अतः नामा0 संख्या 03 को निरस्त करते हुए उससे पूर्व की स्थिति को बहाल किया जावें।

रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त नामा0 संख्या 03 दिनांक 05.06.1976 विधि विरूद्ध, कानून के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया था तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के पारित किया गया था, ऐसे शून्य व शून्यकरणीय आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार की मियाद लागू नहीं होती है उसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है। नामा0 संख्या 03 के स्वीकृत हो जाने की जानकारी रेस्पोडेन्टस को प्रथम बार दिनांक 20.08.2020 को राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्राप्त की जाने पर हुई तब रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपीलीाधीन नामा0 संख्या 03 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जैसलमेर की ओर से लिखित में जवाब पेश किया गया था जिसमें भी रेस्पोडेन्टस की प्रथम अपील के अनुसार नामा0 संख्या 03 को खारिज फरमाया जाने तथा स्वीकृति दिनांक 05.06.1976 के पूर्व की राजस्व रेकर्ड

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

की स्थिति कायम करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी के अनुसार रेस्पोडेन्ट्स की प्रथम अपील को स्वीकार किया गया था तथा अपीलाधीन नामा0 संख्या 03 को निरस्त करते हुए नामान्तरकरण की स्वीकृति दिनांक से पूर्व की राजस्व रेकर्ड की स्थिति को कायम किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.03.2023 को पारित किया गया है जो पूर्ण रूप से विधि अनुकूल एवं उचित होने से यथावत रखे जाने योग्य है।

अपीलान्ट के द्वारा उनकी अपील में दर्शाये गये तथ्य एवं आधार अपीलाधीन नामा0 संख्या 03 दिनांक 05.06.1976 स्वीकृत होने तथा राजस्व रेकर्ड में नामा0 संख्या 03 के आधार पर भूमि सीलिंग में दर्शा दिये जाने पर भूमि सरकार के नाम दर्ज हो जाने पर उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के आदेश कमांक सीलिंग/ 273 दिनांक 28.11.1978 के आधार पर अपने पक्ष में ख0सं0 730/1105 करबा 71.03 बिस्वा, ख0सं0 1001/1112 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 105 बीघा 06 बिस्वा भूमि आवंटित होने तथा उसके अनुसार उनके पक्ष में नामा0 संख्या 48 दिनांक 29.11.1978 स्वीकृत होने एवं उक्त खसरान भूमि के खातेदार हो जाने का आधार बताते हुए पेश की गई है, जबकि रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में कुल रकबा 596 बीघा 03 बिस्वा भूमि पूर्व से ही आवंटित हो रखी है तो उसे सीलिंग में दर्शाई जाकर पुनः आवंटन करने का कोई अधिकार राजस्व अधिकारियों को नहीं था। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्टस का कब्जा पीढियों से आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, अपीलान्ट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है।

रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि उन्हें वर्तमान अपीलान्टस के पक्ष में दर्ज उल्लेखित खसरान भूमि बाबत स्वीकृत नामा0 संख्या 48 को चुनौती देने तथा अपीलान्ट्स को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता ही नहीं थी क्यों कि जिस आधार पर अपीलान्टस को भूमि आवंटित हुई थी, उससे पूर्व के नामा0 संख्या 03 में अंकित बिना अधिकार क्षेत्र व नियम विरूद्ध आदेश के आधार पर होना मानते हुए नामा0 संख्या 03 को ही निरस्त कर दिया गया था, तो उसके पश्चातवर्ती कार्यवाही, आवंटन एवं राजस्व रेकर्ड में हुए इन्द्राजात स्वतः ही शून्य एवं प्रभावहीन हो जाते है। इस कारण से उसके बाद के आवंटी को पक्षकार

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बनाना कतई आवश्यक नहीं है और न ही ऐसे आवंटन को चुनौती दिये गये प्रकरण में पारित आदेश/ निर्णय को कभी आवंटी चुनौती दे सकता है। अतः उपरोक्त समस्त आधारों पर अपीलान्ट की इस अपील को खारिज किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.03.2023 को यथावत रखा जावें। रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीर आरआरडी 1991 पेज 492, आरआरडी, 1991 पेज 526, आरआरडी 1990 पेज 355 एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों इत्यादि पेश किये गये जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर गहनता से मनन एवं चिंतन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश, प्रस्तुत निर्णय नजीरों का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया, जिसके उपरान्त यह पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील में उनको पक्षकार नहीं बनाया गया और न उनको नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है, मात्र तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है, जबकि ख0सं0 730/1105 एवं 1001/1112 ग्राम बेरसीयाला में उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के आदेश कमांक सिलिंग/273 दिनांक 28.11.1978 के अनुसार सीलिंग भूमि आवंटन की गई थी एवं उसके अनुसार नामा0 संख्या 48 दिनांक 29.12.1978 को स्वीकृत किया गया। राजस्व रेकर्ड में तभी से अपीलान्ट का नाम दर्ज हो रखा है एवं तब से ही उक्त भूमि पर लगातार अपीलान्ट काबिज चले आ रहे है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपील प्रकरण में निर्णय करने से पूर्व उल्लेखित खसरा नम्बरान की भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड की जानकारी पत्रावली पर नही ली गई और न ही इस बाबत तहसीलदार, जैसलमेर के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई तथ्य उजागर किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलान्ट के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी हक–अधिकार प्रभावित हुए हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत भी प्रभावित व्यक्ति/ पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विश्लेषण एवं विवेचन के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए उभय पक्षकारान की सुनवाई करने के

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपर जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 27 जनवरी, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
समागीय आयुक्त
जोधपुर